



Neutral Citation No. - 2026:AHC:165221

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7762

सन् 2026

संदीप कुमार

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता	:	मोहम्मद फ़िरोज़ खान, मो. आतिफ़
विपक्षी (गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 314 सन् 2024 के अन्तर्गत धारा 302, 34 बीएनएस, थाना लोनी, ज़िला गाज़ियाबाद में अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। दिनांक 28.5.2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के नाम शामिल किए गए थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों ने कथित अपराध में हिस्सा लिया था। विवेचना अधिकारी ने जांच शुरू की और दिनांक 22.6.2024 को इसे पूरा किया। विवेचना अधिकारी ने आवेदक को दोषमुक्त कर दिया और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और उसके बाद प्रकरण सत्र न्यायालय में भेज दिया गया, जहां सह-अभियुक्तों पर आरोप तय किए गए। उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया और विचारण किए जाने की मांग की। आगे यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं था। मारपीट का मुख्य आरोप सह-अभियुक्त रोहित पर लगाया गया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया है। आवेदक आरोप-पत्र का एक गवाह था। आवेदक को इस प्रकरण में केवल न्यायेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर फंसाया गया है, जो कथित तौर पर सह-अभियुक्त रोहित ने शिखा नाम की महिला के सामने किया था। आगे यह भी कहा गया है कि आरोप तय होने के बाद, अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश किए और विचारण के दौरान पीडब्लू-1 संजू शर्मा और पीडब्लू-2 लक्ष्मी के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद, अभियोजन पक्ष ने आवेदक को आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए बुलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 / बीएनएसएस की धारा 358 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 / बीएनएसएस की धारा 358 के तहत दायर इस आवेदन को विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.2.2026 के आदेश के जरिए स्वीकार कर लिया। दिनांक 17.2.2026 का समन आदेश अंतिम हो गया।

4. आगे यह भी कहा गया है कि विवेचना अधिकारी ने आवेदक को दोषमुक्त कर दिया था और उचित जांच के बाद, कथित अपराध में उसकी कोई संलिप्तता प्रथम दृष्टया नहीं पाई गई थी। अभियोजन पक्ष की मनमानी से आवेदक को इस प्रकरण में तलब किया गया है। आवेदक आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए तैयार है। इस प्रकरण में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और कथित अपराध में आवेदक की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण न्यायालय के साथ सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, हालाँकि, उन्होंने तथ्यात्मक पहलू से इनकार नहीं किया है। आवेदक ने विवेचना अधिकारी को गुमराह किया था, इसलिए उनके विरुद्ध कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनका नाम शामिल था।

6. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में तो था, लेकिन उसके खिलाफ कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं की गई थी। विवेचना अधिकारी को कथित अपराध में आवेदक की कोई मिलीभगत नहीं मिली। विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 / बीएनएसएस की धारा 358 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसे आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए समन भेजा है और आवेदक से हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि आवेदक अग्रिम जमानत पाने का हकदार है।

8. अमन प्रीत सिंह बनाम सी.बी.आई, (2022) 13 एससीसी 764 प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

"11. ऊपर बताई गई बातों से पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते समय मजिस्ट्रेट के लिए यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। जिस मजिस्ट्रेट या न्यायालय को प्रकरण का संज्ञान लेने या अभियुक्त का विचारण करने का अधिकार है, उसे तुरंत आरोप-पत्र स्वीकार करना होगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होगा। यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे प्रकरण में मजिस्ट्रेट या न्यायालय को हमेशा समन जारी करना चाहिए, न कि गिरफ्तारी वारंट। यदि वह गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तहत कारण दर्ज करने होंगे कि अभियुक्त या तो फरार है या समन का पालन नहीं करेगा या उस पर समन की विधिवत तामील का प्रमाण होने के बावजूद उपस्थित होने से इनकार कर दिया है। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त उप-पैरा (iii) में की गई टिप्पणियाँ सावधानी बरतने के बारे में हैं।

12. जहाँ तक मौजूदा प्रकरण और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के तहत सामान्य सिद्धांतों का सवाल है, सबसे उपयुक्त टिप्पणियाँ उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-पैरा (v) में की गई टिप्पणियाँ, ऐसे अभियुक्त के संदर्भ में, जो अजमानतीय अपराध में अभियुक्त है और जिसकी विवेचना की अवधि के दौरान हिरासत आवश्यक नहीं थी, ऐसी स्थिति में, अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना उचित है क्योंकि विवेचना के दौरान उसकी गिरफ्तारी न होना या उसे हिरासत में पेश न किया जाना ही उसे जमानत पर रिहा होने का हकदार बनाता है। इसके पीछे का तर्क स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कई सालों से आज़ाद घूम रहा है और विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो सिर्फ़ इसलिए कि आरोप-पत्र दाखिल हो गई है, अचानक उसकी गिरफ्तारी और जेल भेजने का आदेश देना जमानत देने के मुख्य सिद्धांतों के खिलाफ़ होगा। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं।"

9. अग्रिम जमानत से जुड़े कानून के स्थापित सिद्धांतों, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए—और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना यह पाया गया है कि आवेदक का प्रकरण ऊपर बताए गए फैसलों के दायरे में पूरी तरह आता है, इसलिए अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

10. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को इन निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त प्रकरण में शामिल आवेदक-**संदीप कुमार** की गिरफ्तारी/उपस्थिति की स्थिति में, उसे विचारण पूरा होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, ₹50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करना होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और निष्पक्ष विचारण के लिए जब भी ज़रूरत होगी, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(iii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

11. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

7 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला